पत्र संख्या–6 / योजना–01–27 / 2014 गृ0आ0........................ /

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक जनवरी, 2016

विषयः– **पुलिस तथा अन्य बलों की आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए केन्द्रांश की राशि ₹ 4210.00 लाख (बेयालीस करोड़ दस लाख रू0) एवं राज्यांश की राशि ₹ 2807.00 लाख (अठाईस करोड़ सात लाख रू0) विमुक्त करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पुलिस तथा अन्य बलों की आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृत्यादेश संख्या–6272, दिनांक–01.09.2015 द्वारा ₹ 7871.374 लाख (अठहत्तर करोड़ इकहत्तर लाख सैंतीस हजार चार सौ रू0) की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹ 4210.00 लाख (बेयालीस करोड़ दस लाख रू0) विमुक्त किया गया है जिसमें वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्वीकृत्यादेश संख्या–9082, दिनांक–24.10.2015 द्वारा स्वीकृत बिहार सैन्य पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, डुमराँव के निर्माण हेतु ₹ 9708.676 लाख (संतानवे करोड़ आठ लाख सड़सठ हजार छह सौ रू0) में से ₹ 1080.00 लाख भी शामिल है। केन्द्रांश के समतुल्य राज्यांश की राशि ₹ 2807.00 लाख (अठाईस करोड़ सात लाख रू0) है।

2. उपर्युक्त के आलोक में पुलिस तथा अन्य बलों आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए केन्द्रांश की राशि ₹ 4210.00 लाख (बेयालीस करोड़ दस लाख रू0) एवं राज्यांश की राशि ₹ 2807.00 लाख (अठाईस करोड़ सात लाख रू0) विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपर्युक्त विमुक्त केन्द्रांश की राशि ₹ 4210.00 लाख (बेयालीस करोड़ दस लाख रू0) राज्य योजनान्तर्गत मांग सं0–22 के बजट मुख्य शीर्ष –4055–पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–00–लघु शीर्ष–051–निर्माण उपशीर्ष–0204–पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम– विषयशीर्ष –53 01–मुख्य निर्माण कार्य–विपत्र कोड–P4055000510204 से चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. राज्यांश के लिए विमुक्त राशि ₹ 2807.00 लाख (अठाईस करोड़ सात लाख रू0) राज्य योजनान्तर्गत मांग सं0–22 के बजट मुख्यशीर्ष–4055–पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–00–लघु शीर्ष–051–निर्माण उपशीर्ष–0304–पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम विषयशीर्ष–53 01–मुख्य निर्माण कार्य–विपत्र कोड–P4055000510304 से चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. उपर्युक्त विमुक्त केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

6. भवन निर्माण का कार्य बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना द्वारा किया जायेगा एवं राशि की निकासी कर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पी0एल0 खाते में जमा किया जायेगा।

7. उपर्युक्त विमुक्त केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि में से ₹ 1080.00 लाख (दस करोड़ अस्सी लाख रू0) का व्यय स्वीकृत्यादेश संख्या–9082, दिनांक–24.10.2015 द्वारा स्वीकृत बिहार सैन्य पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, डुमराँव के निर्माण हेतु किया जायेगा।

8. बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

9. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यकतानुसार कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

11. उपयोगिता प्रमाण–पत्र तीन माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

12. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0 :–6 / योजना–01–27 / 2014गृ0आ0..........44.......... / पटना, दिनांक 04, जनवरी, 2016

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना / पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना / अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना / पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण) बिहार, पटना / आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव
4.1.16